प्रकरण संख्या 68/2017 मीठालाल बनाम सरकार व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.05.2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में अपीलान्ट/वादी द्वारा ग्राम साकरड़ा में उसे पूर्व में आवंटित भूमि, जिसका पट्टा दिनांक 20–11–2013 को जारी होकर राजस्व रेकार्ड में भी उसका नाम प्रविष्ट हो चुका था, परन्तु भू–प्रबन्ध के दौरान उसका खाता विलोपित कर दिया गया है, जिससे उसे पुनः खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया। उक्त वाद पर तहसीलदार द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में दिनांक 13–04–2011 को अधिनस्थ न्यायालय निम्नानुसार 4 तनकियात कायम की गयी :– 1. आया कि ग्राम साकरड़ा तहसील आमेट कि आराजी नंबर 471 रकबा 2.4300 हैक्टर भूमि उसके साबिक आराजी नंबर 518 में से वादी के पिता को 5 बीघा भूमि आवंटित हुई ? ..... वादी 2. आया वादी आवंटित पट्टे के बाद निरन्तर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहा है ? ..... वादी 3. आया वादी आराजी नंबर 471 रकबा 2.4300 हैक्टर में से 5 बीघा भूमि खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है ? ..... वादी 4. अनुतोष ? अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 21–04–2011 को निर्णय पारित करते हुए अपने निर्णय में सिर्फ निम्नानुसार विवेचन किया है :– ''वकील वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी की हस्ताक्षरार्थ मोहर सील है एवं वादी का मौके पर कब्जा नहीं होने से वक्त सेटलमेन्ट विभाग बिलानाम सिवायचक अंकन कर दी गई। पैरोकर सरकार ने बहस में कथन किया कि आवंटी को आवंटन हुआ परन्तु कब्जा नहीं है,	

न ही आवंटन की मूल पत्रावली तलब की गयी है परन्तु साक्ष्य से भी कब्जे का बिन्दु साबित नहीं है, जिससे वाद वाद खारिज योग्य है। उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी साबित नहीं पाये जाने से वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का साबित कराने में असफल रहा लिहाजा वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री कायम हो।''

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन नहीं किया गया है तथा प्रकरण में आदेश 20 नियम 5 जा.दी. के आज्ञापक प्रावधानों की अनुपालना में तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है, जो स्पष्टया विधि प्रतिकूल है एवं तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटि पूर्ण होकर अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.04.2011 अपास्त की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनकर तनकीवार निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.07.2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 68/2017 मीठालाल बनाम सरकार व अन्य

प्रकरण संख्या 68/2017 मीठालाल बनाम सरकार व अन्य